

संख्या-3703

/15-7-04 -16<sup>0</sup> 66 0/ 2003

प्रेमक,

शिव प्रकाश गुप्त,  
संस्था सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

श्री  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विद्या भवन-2 समुदाय भवन,  
पी. टी. विहार, नई दिल्ली ।

01 मार्च

विद्या 17<sup>0</sup> अनुभाग

लखनऊ: दिनांक

बस्तर, 2003

विषय:-

आनंद बनसधनी विद्यालय द्वारा जो सी.बी.एस.सी. मंडलिका से संबन्धित  
देह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का  
निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी.बी.एस.सी.** नईदिल्ली से  
संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित  
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया  
जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में विद्या निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी  
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक  
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित  
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी  
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा  
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक  
शिक्षा परिषद/कोषिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्सामिनेशन  
नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों  
की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा  
प्राप्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो  
जायेगें ।

5. संस्था के वैधिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
8. विद्यालय सिलाई निर्धारित प्रपत्र/बंजिकाओं में रखा जायेगा ।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्रस्तावमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवती प्र,

**श्रीमती प्रकाश गुप्त ।**  
**संयुक्त सचिव ।**

प्रसंगिक दिनांक तद्विषय

प्रतिश्रुति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **आगरा ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **आगरा ।**
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **आगरा पत्रपत्रिका विभाग, आगरा ।**
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा में,  
**श्रीमती प्रकाश गुप्त ।**  
**संयुक्त सचिव ।**